

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 अगस्त 2011—श्रावण 26, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ. ए. 5-3-2011-1-पांच-(57).—मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 2011 (क्रमांक 11 सन् 2011) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट स्वामी को, सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा तक और उक्त सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के अधीन मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है :—

सारणी

स्वामी का वर्ग	छूट की सीमा	निर्बन्धन तथा शर्तें, जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान की गई हैं।
(1)	(2)	(3)

आर्मी वेलफेयर वाईव्स एसोसिएशन
हेड क्वार्टर, मध्यभारत एरिया,
जबलपुर.

निरसित अधिनियम की धारा 3 के
अधीन संपूर्ण शुल्क

- यह छूट जबलपुर में 28 सितम्बर, 2008 को आयोजित मनोरंजन कार्यक्रम “एक शाम आशा तारों के नाम” के संबंध में उपलब्ध होगी।
- यदि शुल्क की कोई राशि कोषालय में जमा कर दी गई है, ऐसी राशि प्रतिदाय नहीं होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव,

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. एफ. ए. 5-3-2011-1-पांच-(57).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. ए. 5-3-2011-1-पांच-(57), दिनांक 17 अगस्त 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 17th August 2011

F. A -5-3-2011-1-V (57).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Eevam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011 (No. 11 of 2011), the State Government, hereby, exempts the proprietor specified in column (1) of the Table below from payment of entertainment duty under the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) (hereinafter referred to as the repealed Act) to the extent specified in column (2) and subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Table :—

TABLE

Name of Proprietor (1)	Extent of exemption (2)	Restrictions and conditions subject to which exemption is granted (3)
Army Welfare Wives Association Head Quarter, Madhya Bharat Area, Jabalpur.	Whole of duty under Section 3 of the repealed Act.	<p>1. The exemption shall be available in respect of the entertainment programme “Ek Sham Asha Taron Ke Nam” organised on 28th of September, 2008 at Jabalpur.</p> <p>2. If any amount of duty has been deposited in the treasury, such amount shall not be refunded.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.